लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1186

10 फरवरी, 2020 को उत्तर के लिए

इस्पात के आयात में कमी

1186. श्रीमती साजदा अहमदः

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार द्वारा देश में इस्पात के आयात में कमी करने के लिए क्या समावेशी नीति अपनाई गई है;

(ख) क्या सरकार का इस्पात उद्योग के लिए कच्ची सामग्री पर सीमा शुल्क में कमी करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

इस्पात मंत्री (श्री धर्मेंद्र प्रधान)

(क): इस्पात के आयात को न्यूनतम करने के लिए सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं:-

(i) सरकारी संगठन में देश में उत्पादित इस्पात की खपत बढ़ाने के लिए स्वदेश निर्मित लौह एवं इस्पात उत्पाद नीति (डीएमआई एंड एसपी) को अधिसूचित किया गया है।

(ii) देश में श्रेष्ठतम निष्पादन वाले इस्पात की माँग की पूर्ति के लिए सरकार ने स्टील रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी मिशन ऑफ इंडिया (एसआरटीएमआई) की स्थापना की है और इसके माध्यम से इस्पात क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास की सुविधा प्रदान कर रही है।

(iii) मंत्रालय इस्पात उत्पादों की गुणवत्ता के मुद्दे पर तथा घटिया इस्पात का आयात रोकने पर ध्यान दे रहा है। इसने इस्पात तथा इस्पात उत्पाद गुणवत्ता नियंत्रण (क्यूसी) आदेश अधिसूचित किया है।

(iv) अनुचित व्यापार के जरिए आयात को रोकने के लिए सरकार ने अनेक इस्पात उत्पादों के आयात पर एंटी डंपिंग शुल्क लगाया है।

(v) आयातित इस्पात स्क्रैप पर निर्भरता कम करने के लिए सरकार ने स्टील स्क्रैप रिसाइकिलिंग नीति को अधिसूचित किया है।

(vi) इस्पात के आयात पर निगरानी रखने के लिए सरकार ने हाल ही में इस्पात आयात निगरानी प्रणाली (एसआईएमएस) की शुरुआत की है।

(ख) और (ग): इस्पात उद्योग द्वारा प्रयुक्त आधारभूत कच्ची सामग्री, जैसे कोकिंग कोल, फेरो स्क्रैप, लौह अयस्क, फेरो-अलॉयज आदि पर आयात शुल्क न्यूनतम रखा गया है।

****